Disclaimer

The English version shall always prevail in case of any discrepancy or inconsistency between English version and it's Hindi translation

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959

(21.09.2022 की स्थिति के अनुसार)

[1]जीएसआर 844 दिनांक 14 जुलाई, 1959 ..... [2]उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958, (1958 का 41) की धारा 24 की उप धारा (1) और खंड (ग) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,केंद्र सरकार एततद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः –

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – इन नियमों को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 कहा जाए ।

(2) तत्काल प्रभाव से लागू ।

[3]1क परिभाषा-इन नियमों में "पूर्ण वैगन" का अर्थ है ....

(1) रेल से जुड़े स्थानों के बीच :

(क) मालगाड़ी द्वारा – वैगन की अधिकतम वहन करने की क्षमता तक की कोई भी मात्रा और "वैगन" का अर्थ केवल चार पहिया वैगन है ;

(ख) यात्री ट्रेन या सड़क मार्ग से – मालगाड़ी द्वारा 6,000 किलोग्राम के लिए प्रभार्य राशि तक मील भत्ता सीमित होगा ।

(2) उन स्थानों के बीच जो रेल से नहीं जुड़े हैं :

6,000 किलोग्राम

[4](3) माइलेज भत्ता का मतलब टैक्सी के लिए परिवहन से संबन्धित निदेशालय द्वारा अधिसूचित दरों पर सड़क मील भत्ता है ।

2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यात्रा भत्ता – जब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह अपने नए पद का कार्यभार संभालने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1959 के नियम 6 में निर्दिष्ट दर पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने और अपनी यात्रा करने का हकदार है । 5[वह उन दरों पर एकमुश्त हस्तांतरण अनुदान और पैकिंग भत्ता का भी हकदार होगा जो भारतीय प्रशासंकिक सेवा के किसी सदस्य को, जो भारत सरकार के सचिव का पद धारक को उसका तबादला या प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार से केंद्र सरकार में होने पर प्राप्त होते हों ।]

---

1. भारत के राजपत्र में प्रकाशित, 1959, भाग-2 खंड 3(1) पृष्ठ 1054
2. 1998 के अधिनियम, 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. जीएसआर 343 (ई) दिनांक 12.05.1976 द्वारा प्रतिस्थापित
4. जीएसआर 1187 (ई) दिनांक 6.11.1986 द्वारा अतःस्थापित
5. जीएसआर 378 (ई) दिनांक 16.04.1993 द्वारा अतःस्थापित ।

3. (1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त सरकारी कर्मचारी पर लागू प्रावधान। जब कोई सरकारी कर्मचारी, जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो, अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए रेल द्वारा यात्रा करता है, तो वह अपने विकल्प पर और उसके लिए लागू स्थानांतरण पर यात्रा को नियंत्रित करने वाले नियम के तहत यात्रा भत्ता आहरण के बदले में वातानुकूलित श्रेणी को छोड़कर, उच्चतम श्रेणी के आरक्षित डिब्बे में यात्रा कर सकता है।

(2) इस रियायत का लाभ उठाने वाले सरकारी कर्मचारी को सरकार को उस किराए का भुगतान करना होगा जो उसने भुगतान किया हो यदि कोई आवास आरक्षित नहीं किया गया हो तो और इसके अलावा, उसके साथ उसके परिवार के किसी भी सदस्य का किराया, चाहे वे उसके आरक्षित आवास को साझा करते हों या नहीं, उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को नकद भुगतान करना होगा जब सरकार आवास के लिए पूर्ण टैरिफ दरों का भुगतान करती है, तो ऐसे सभी किराए सरकार को जमा किए जाएंगे।

4. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त गैर-सरकारी सेवक के संबंध में प्रावधान - जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही सरकारी सेवा में नहीं है, उसे न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, तो वह अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए रेलवे से यात्रा करते समय उच्चतम श्रेणी, वातानुकूलित श्रेणी को छोड़कर और नियम 3 के उप नियम (2) में निर्धारित शर्तों के अधीन आरक्षित डिब्बे में यात्रा कर सकता है।

परंतु कि, यदि ऐसा कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह एक इन्फेक्शन कैरियज में या दो बर्थ वाले एक वातानुकूलित कूपे में यात्रा कर सकता है ।

स्पष्टीकरण - नियम 3, 4 और 7 के प्रयोजनों के लिए एक आरक्षित डिब्बे का अर्थ दो बर्थ कम्पार्टमेंट या चार बर्थ वाला कम्पार्टमेंट है, यदि उस ट्रेन में दो बर्थ वाला कम्पार्टमेंट उपलब्ध नहीं है जिससे कोई न्यायाधीश यात्रा करता है ।

5. ड्यूटी पर यात्रा कर रहे न्यायाधीश को यात्रा सुविधाएं- (1) जब कोई न्यायाधीश ड्यूटी पर यात्रा करता है, तो वह हकदार होता है--

[1] [(क) रेलवे से यात्रा करते समय-

(i) वातानुकूलित श्रेणी सहित उच्चतम श्रेणी के आरक्षित दो-बर्थ वाले कम्पार्टमेंट और यदि ऐसा कम्पार्टमेंट उपलब्ध नहीं है तो तब उच्चतम श्रेणी के आरक्षित चार बर्थ वाले कर्मपार्टमेंट(वातानुकूलित क्लास को छोड़कर) ;

(ii) यदि ऐसा कम्पार्टमेंट किराए के भुगतान के बिना उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाने का ; तथा

(iii) दो से अनधिक संख्या में सेवकों के लिए वास्तव में भुगतान की गई निम्नतम श्रेणी दरों पर किराया के लिए उपलब्ध कराया जाता है ।

[2] [परंतु कि मुख्य न्यायाधीश या एक कार्यवाहक प्रमुख, यदि वह ऐसा चाहता है, एक मानक गेज सैलून प्रदान किया जाएगा और यदि, किसी भी कारण से कोई मानक गेज सैलून उसके उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उसे एक निरीक्षण गाड़ी प्रदान की जाएगी और मुख्य न्यायाधीश या कोई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मानक गेज सैलून या निरीक्षण गाड़ी से यात्रा करते समय अपने एक रिश्तेदार को भुगतान किए बिना मानक गेज सैलून या निरीक्षण गाड़ी में अपने साथ ले जाने का हकदार होगा ।

---

1. जीएसआर 343 (ई) दिनांक 12.5.1976 द्वारा प्रतिस्थापित
2. जीएसआर 1881 दिनांक 3.10.1968 द्वारा प्रतिस्थापित

परंतु यह और कि जहां मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मानक गेज सैलून या इन्फेक्शन कैरियज से यात्रा करते हैं, वह नौकरों के लिए किसी भी किराए का हकदार नहीं होगा]

(ख) स्टीमर सेवा से यात्रा करते समय, एक आरक्षित प्रथम श्रेणी के केबिन में, यदि उपलब्ध हो, या वास्तव में स्वयं के लिए भुगतान किये गये किराए पर दो से अनाधिक सेवकों के लिए स्टीमर सेवा के लिए वास्तव में भुगतान किए गए सबसे कम श्रेणी की दरों पर किराए का, यह मेसिंग चार्जेस के लिए सामान्य कटौतियों के शर्ताधीन होगा ।

(ग) एक सार्वजनिक हवाई परिवहन सेवा से यात्रा करते समय, अपने लिए भुगतान किए गए किराए के लिए और यदि वास्तव में भुगतान किया जाता है, तो यात्री दरों पर रेल या स्टीमर द्वारा 1(80 किलोग्राम तक) सामान तक परिवहन की लागत का, और दो से अनाधिक नौकरों के लिए निम्नतम क्लास के रेलवे या स्टीमर किराए का और वास्तव में नौकरों या समान के परिवहन पर वास्तव में किए गए व्यय का अधिकतम 1(संबंधित परिवहन निदेशालय द्वारा ऑटो- रिक्शा के लिए अधिसूचित प्रति किलोमीटर आधी दर पर) सड़क मार्ग से यात्रा के उस हिस्से का जिसके लिए इस उप-नियम के खंड (घ) के तहत किसी भत्ते का दावा नहीं किया गया हो ;

[2] परंतु कि मुख्य न्यायाधीश देश के भीतर सार्वजनिक हवाई परिवहन सेवाओं से यात्रा करते समय अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने का हकदार होगा।

(घ) सड़क से यात्रा करते समय, [3] (माइलेज भत्ता) का

परंतु कि -

(i) सड़क मार्ग से यात्रा के उस हिस्से के संबंध में ऐसा कोई भत्ता देय नहीं होगा जिसके लिए सार्वजनिक हवाई परिवहन सेवा अपना परिवहन प्रदान करती है और वह किराया जिसके लिए यात्रा,हवाई यात्रा के लिए खंड (ग) के तहत अदा किए गए हवाई किराए में शामिल हो ।

(ii) ऐसे मामलों में कोई भत्ता देय नहीं होगा जहां न्यायाधीश सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराए गए परिवहन का उपयोग करता है;

[4](ङ) [.....]

(च) होटल या गेस्ट हाउस आवास, 50 किलोमीटर तक शहर के भीतर यात्रा के लिए परिवहन शुल्क (एसी टैक्सी) के लिए 7500/- रुपए [5]तक का दैनिक भत्ता का और मुख्यालय से अनुपस्थिति की पूरी अवधि के लिए प्रति दिन 1200/- रुपए [5]से आशिक के भोजन के बिल का,अनुपस्थिति की गणना मुख्यालय से प्रस्थान के समय से मुख्यालय में वापसी के समय तक की जाएगी ;

---

1. जीएसआर 1187 (ई) दिनांक 6.11.1996 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. भारतीय नौसेना पोत जीएसआर 175 दिनांक 8.3.1986 द्वारा अंतः स्थापित ।
3. जीएसआर 175 दिनांक 8.3.1986 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. जीएसआर 343 (ई) दिनांक 12.5.1976 द्वारा लोप किया गया ।
5. जीएसआर 630 (ई) दिनांक 12.07.2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परंतु कि इस प्रकार स्वीकार्य दैनिक भत्ता निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा : -

(i) प्रत्येक पूर्ण दिन के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता, जो कि मध्य रात्रि से मध्य रात्रि तक गिना जाता है।

(ii) मुख्यालय से चौबीस घंटे से कम की अनुपस्थिति के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर होगा, अर्थात् : -

(1) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति छह घंटे से अधिक नहीं है, तो पूरे दैनिक भत्ते का 30 प्रतिशत ;

(2) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति छह घंटे से अधिक है, लेकिन बारह घंटे से अधिक नहीं है, तो पूरे दैनिक भत्ते का 50 प्रतिशत ;

(3) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति पूर्ण दैनिक भत्ता बारह घंटे से अधिक है पूर्ण दैनिक भत्ता,

(iii) यदि मुख्यालय से प्रस्थान और वापसी की तारीखें अलग-अलग तारीखों पर पड़ती हैं, तो मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि दो दिनों के रूप में मानी जाएगी और दैनिक भत्ते की गणना प्रत्येक दिन के लिए खंड (ii) के अनुसार की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सैलून या निरीक्षण गाड़ी में रहता है, तो दैनिक भत्ता [1](1150/- रुपये) होगा और यदि वह किसी होटल या अन्य स्थान पर रहता है, तो दैनिक भत्ता [2](5000/-रुपए) होगा।

परंतु कि -

(i) जब एक न्यायाधीश को अपने मुख्यालय से दूर अपने सामान्य कर्तव्यों के बाहर कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो उसे ऐसी शर्तों के अधीन जो राष्ट्रपति प्रत्येक मामले में निर्धारित करें, होटल या गेस्ट हाउस आवास, 50 किलोमीटर दूर तक शहर के भीतर यात्रा करने के लिए परिवहन शुल्क (एसी टैक्सी) के लिए [2](7500/- रुपए तक का दैनिक भत्ता और भोजन का बिल 1200/- रुपए प्रति दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता है और वह समान वेतन के सरकारी कर्मचारियों के लिए समान दरों पर सरकारी आवास के लिए हकदार होगा ;

(ii) जब किसी न्यायाधीश को अपने मुख्यालय में अंशकालिक या पूर्णकालिक समान कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो उसे किसी भी भत्ते या शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि विशेष कार्य में अतिरिक्त खर्च शामिल न हो, जिस स्थिति में उसे जैसा कि प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए, इस तरह का भत्ता दिया जा सकता है जो प्रति दिन 7500/-रुपए से अधिक न हो ।

(iii) [3]हटा दिया गया है ।

1.जीएसआर 149(ई) दिनांक 24.2.1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2.जीएसआर 630 (ई) दिनांक 12.7.2018द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. जीएसआर 14 (ई) दिनांक 21.12.2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(छ) मोटर कार के मालिक के जोखिम पर, यात्री ट्रेन या स्टीमर द्वारा परिवहन पर वास्तव में किए गए व्यय का, यदि कोई हो, और एक ड्राइवर या क्लीनर के संबंध में रेलवे या स्टीमर सेवा के लिए वास्तव में भुगतान की गई निम्नतम श्रेणी दर पर किराए का ;

(ज) व्यक्तिगत सामानों के परिवहन के लिए भुगतान किए गए वास्तविक भाड़े का जो मालगाड़ी द्वारा निजी समान [1](2,400 किलोग्राम) परिवहन के लिए प्रभार्य भाड़े से अधिक नहीं ;

बशर्ते कि किसी भी व्यक्तिगत सामान के लिए कोई ग्रेटी देय नहीं होगी जो निरीक्षण गाड़ी में ले जाने में सक्षम हो ।

(2) यदि कोई व्यक्ति [2](पत्नी और नौकरों के अलावा) उप नियम (1) के तहत, न्यायाधीश के लिए आरक्षित केबिन के किसी डिब्बे में उनके साथ जाता है, किराए उनके खाते में देय होंगे और इस प्रकार भुगतान किए गए किराए, यदि सरकार द्वारा आरक्षित आवास के लिए पूर्ण ट्रैफिक दरों का भुगतान किया गया है, सरकार को जमा किया जाएगा ।

[(2क) जब किसी न्यायाधीश को उप-नियम (3) के खंड (ii) के तहत, ड्यूटी पर यात्रा करने वाला माना जाता है, तो वह अपने परिवार के किसी (विवाहित पुत्रों और विवाहित पौत्रियों को छोड़कर) यदि वह उसके साथ एसी यात्राओं में साथ होता है, उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए की प्रतिपूर्ति का भी हकदार होगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए—

(i) मुख्यालय से आने-जाने की सभी यात्राएं मुख्यालय में न्यायाधीश के निवास से और उस पर या किसी बाहरी स्टेशन पर जैसा भी मामला हो, शुरू और समाप्त मानी जाएगी । मुख्यालय में न्यायाधीश के निवास के ([1]आठ किलोमीटर) के भीतर सड़क मार्ग से यात्रा के लिए, कोई मील भत्ता तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि न्यायाधीश वास्तव में [2](आठ किलोमीटर) के दायरे से बाहर के स्थान पर नहीं जाता है । वास्तविक आउट स्टेशन, दैनिक भत्ते के अतिरिक्त कोई माइलेज भत्ता, जिसके लिए कोई न्यायाधीश हकदार हो सकता है, न्यायाधीश के अस्थायी निवास के [1](आठ किलोमीटर) के भीतर सड़क यात्रा के लिए स्वीकार्य नहीं होगा;

(ii) किसी न्यायाधीश को ड्यूटी पर यात्रा करने वाला माना जाएगा, जब वह उच्चतम न्यायालय की छुट्टी के दौरान, वह भारत में किसी भी स्थान से जहां वह छुट्टी बिता रहा था उच्चतम न्यायालय में ड्यूटी करने के उद्देश्य से यात्रा करता है और ऐसे कर्तव्य के पूरा होने के बाद स्थान पर वापस आ जाता है;

---

1. जीएसआर 1187(ई) दिनांक 6.11.1986 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. जीएसआर 579 दिनांक 30.5.1974 से प्रभावी 15.5.1974 प्रतिस्थापित ।

(iii) "वास्तविक खर्च" का अर्थ है यात्रा के लिए आकस्मिक सामान्य और सामान्य खर्च और इसमें नौका के लिए कोई शुल्क, टोल का भुगतान, शिविर उपकरण के परिवहन पर खर्च की गई राशि शामिल है, लेकिन होटल शुल्क, किराए के लिए किराए जैसे अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। यात्री का बंगला, जलपान की लागत, स्टोर या वाहन की ढुलाई के लिए शुल्क या कोचमेन को उपहार या वाहक को सुझाव या ऐसे आकस्मिक नुकसान या खर्चों के लिए कोई अन्य भत्ता जैसे कि क्रॉकरी, फर्नीचर के टूट-फूट और अतिरिक्त नौकरों के रोजगार के लिए;

[1][(iv).....]

(v) जब किसी स्थान पर निरंतर ठहराव की अवधि दस दिनों से अधिक हो, लेकिन तीस दिनों से अधिक न हो, तो दैनिक भत्ता पहले दस दिनों के लिए पूर्ण दर पर और बाद के किसी भी दिन के लिए तीन चौथाई दरों पर देय होगा।

6. न्यायाधीश को देय यात्रा भत्ता, जब वह आगे बढ़ रहा हो, या छुट्टी आदि से लौट रहा हो। (1) जब एक न्यायाधीश-

(क) छुट्टी पर जाता है, या छुट्टी से लौटता है, या

(ख) भारत में या उसके बाहर बिताए गए अवकाश से आय, या वापसी, या

(ग) अपने पद से इस्तीफा देने के बाद किसी अन्य पद पर शामिल होने के लिए आगे बढ़ता है, वह भारत में रेल से यात्रा करते समय, वातानुकूलित वर्ग को छोड़कर, उच्चतम श्रेणी के आरक्षित डिब्बे में निर्धारित शर्तों के अधीन यात्रा कर सकता है नियम 3 का उप-नियम (2) :

उसे उपलब्ध कराया -

(i) मुख्य न्यायाधीश एक निरीक्षण गाड़ी में या दो बर्थ के वातानुकूलित कूप में यात्रा कर सकते हैं, यदि एक उपलब्ध हो;

(ii) एक न्यायाधीश, जो 9 मार्च, 1954 से ठीक पहले इस रूप में पद धारण कर रहा था, रेल द्वारा यात्रा करते समय, वातानुकूलित श्रेणी को छोड़कर, उच्चतम श्रेणी के आरक्षित डिब्बे में निर्धारित शर्तों के अधीन यात्रा कर सकता है। नियम 5 का उप-नियम (2);

2[(iii) .....]

---

1. जीएसआर 343 (ई) दिनांक 12.5.1976 द्वारा छोड़ा गया।
2. जीएसआर 2010 दिनांक 15.12.1970 द्वारा छोड़ा गया।

(2) इस नियम के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं उतरने के स्थान तक या उस स्थान तक उपलब्ध होंगी जहां न्यायाधीश आमतौर पर भारत में रहते हैं, जैसा भी मामला हो।

[1](3) जब कोई न्यायाधीश सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो वह और उसके परिवार के सदस्य यात्रा के लिए और व्यक्तिगत सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित खर्चों के हकदार होंगे, जहां से वह अपनी सेवानिवृत्ति से पहले स्थायी रूप से ड्यूटी पर था। सेवानिवृत्ति से पहले इस उद्देश्य के लिए घोषित अपने गृह राज्य में निवास। यदि कोई न्यायाधीश अपने गृह राज्य में स्थायी निवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर बसना चाहता है, तो उसकी यात्रा और उसके परिवार के सदस्यों की यात्रा और परिवहन के लिए उसके द्वारा वास्तव में किए गए खर्च के कारण उसे प्रतिपूर्ति योग्य राशि व्यक्तिगत प्रभाव वह होगा जो उसे स्वीकार्य होता यदि वह वास्तव में अपने गृह राज्य में अपने स्थायी निवास के लिए जाता या अपने गृह राज्य में स्थायी निवास के अलावा किसी अन्य स्थान की यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति योग्य राशि, जो भी कम हो। इन नियमों के तहत पूर्वोक्त सटीक पात्रता इस प्रकार होगी, अर्थात्: -

[2][(क) रेल या हवाई यात्रा करते समय]

[2][(i) न्यायाधीश स्वयं वातानुकूलित श्रेणी सहित उच्चतम श्रेणी के आरक्षित डिब्बे से या वायुयान से यात्रा कर सकते हैं। उसके परिवार के सदस्यों को भी इस तरह के आरक्षित डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं।

(ii) उसके परिवार के सदस्य जो आरक्षित डिब्बे में यात्रा नहीं कर रहे हैं, वे वातानुकूलित श्रेणी या हवाई मार्ग सहित उच्चतम श्रेणी के आवास में यात्रा कर सकते हैं।

बशर्ते कि मुख्य न्यायाधीश निरीक्षण गाड़ी में या दो बर्थ के वातानुकूलित कूप में यात्रा कर सकते हैं, यदि एक उपलब्ध हो]

(ख) सड़क से यात्रा करते समय ;

[3][न्यायाधीश के लिए एक मील भत्ता, दूसरा लाभ भत्ता यदि उसके परिवार के दो सदस्य उसके साथ यात्रा कर रहे हैं और तीसरा लाभ भत्ता यदि उसके परिवार के दो से अधिक सदस्य उसके साथ यात्रा करने की तारीख को न्यायाधीश पर लागू दर पर यात्रा करते हैं। आखिरी बार ड्यूटी पर था:

बशर्ते कि यात्रा का कोई भी हिस्सा रेल द्वारा किया जा सकता है, उस हिस्से के संबंध में दावा किया गया भत्ता स्वीकार्य राशि से अधिक नहीं होगा यदि न्यायाधीश और उसके परिवार के सदस्यों ने रेल द्वारा ऐसे हिस्से पर यात्रा की थी। वातानुकूलित सहित उच्चतम श्रेणी।]

[4][(बीबी) खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट तरीकों से यात्रा करते समय, दैनिक भत्ता न्यायाधीश और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसी दर पर स्वीकार्य होगा जो एक न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य है जब वह यात्रा करता है। कर्तव्य और नियम (5) के उप-नियम (1) के खंड (एफ) के प्रावधान, जहां तक हो, लागू होंगे।]

---

1. एल.इन. जीएसआर 2010 दिनांक 15.12.1970 द्वारा प्रतिस्थापित
2. उप जीएसआर 716 (ई) दिनांक 4.12.1991 द्वारा प्रतिस्थापित
3. उप जीएसआर 1187 (ई) दिनांक 6.11.1986 द्वारा प्रतिस्थापित
4. उप जीएसआर 343 (ई) दिनांक 12.5.1976 द्वारा प्रतिस्थापित

[1](ग) एक मोटर कार के परिवहन के लिए, रेलवे जोखिम पर यात्री ट्रेन द्वारा या मालिक के जोखिम पर हवाई मार्ग से जो भी कम हो]; तथा

(घ) अन्य व्यक्तिगत सामानों के परिवहन के लिए, जो [2](एक पूर्ण चार पहिया वैगन या 6,000 किलोग्राम माल ट्रेन या डबल कंटेनर पर) के परिवहन में खर्च किए जाने वाले व्यय से अधिक नहीं होगा और लोडिंग और अन-लोडिंग में किए गए व्यय ऐसे व्यक्तिगत प्रभाव;

(ङ) एकमुश्त हस्तांतरण अनुदान और पैकिंग भत्ता उसी दरों पर जो भारत सरकार के सचिव के पद को धारण करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य के लिए स्वीकार्य हैं।

बशर्ते कि उपरोक्त पात्रता समाप्त हो जाएगी यदि न्यायाधीश द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने के भीतर यात्रा पूरी नहीं की जाती है।

बशर्ते कि उसके परिवार के सदस्य छह महीने के भीतर उसका अनुसरण कर सकते हैं या उससे पहले एक महीने से अधिक नहीं हो सकते हैं और छह महीने या एक महीने की अवधि, जैसा भी मामला हो, की गणना न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की तारीख से की जाएगी।

[3]स्पष्टीकरण - इस नियम और नियम 7 के प्रयोजनों के लिए, एक न्यायाधीश के परिवार के सदस्यों का अर्थ है उसकी पत्नी, उसके बच्चे, माता-पिता, बहनें और नाबालिग भाई जो सामान्य रूप से उसके साथ रहते हैं और पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं।

[4]6क नियम 6 में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश अपनी छुट्टी के दौरान भारत में किसी भी स्थान (अपने गृह राज्य में स्थायी निवास सहित) पर जाने के लिए अपनी पत्नी और अपने परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए अवकाश यात्रा रियायत का हकदार होगा।(तीन बार) एक वर्ष में इस संबंध में लागू नियमों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सदस्य को भारत सरकार के सचिव का पद धारण करने के लिए।

स्पष्टीकरण : - इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'छुट्टी' में अवकाश [6](राजपत्रित अवकाश, बंद अवकाश और रविवार में से कोई भी) शामिल होगा।

बशर्ते कि एक न्यायाधीश और उसकी पत्नी के पास रेलवे से यात्रा करते समय हवाई या वातानुकूलित प्रथम श्रेणी से यात्रा करने का विकल्प होगा। परिवार के आश्रित सदस्यों को भी उनके साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, जब न्यायाधीश या उनकी पत्नी छुट्टी यात्रा रियायत पर यात्रा करते हैं (या वे हवाई यात्रा करते समय स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं)।

[6B. रविवार और अवकाश के दिनों में यात्रा करने वाले न्यायाधीश को यात्रा की सुविधा-न्यायाधीश रविवार या बंद छुट्टियों में रेल से यात्रा करते समय अपने विशेष उपयोग के लिए उच्चतम श्रेणी (वातानुकूलित वर्ग को छोड़कर) के आरक्षित दो बर्थ वाले डिब्बे के हकदार होंगे ।]

[1] [----------]

---

1. जीएसआर 915 (ई) दिनांक 06.09.1988 द्वारा प्रभावी
2. जीएसआर 484 (ई) दिनांक 07.03.1986 द्वारा प्रतिस्थापित
3. जीएसआर 343 (ई) दिनांक 12.05.1976 द्वारा प्रभावी
4. जीएसआर 1187 (ई) दिनांक 06.11.1986, जीएसआर 899 (ई) दिनांक 28.09.1985 द्वारा यथा संशोधित जीएसआर (ई) दिनांक 27.04.1972 द्वारा प्रतिस्थापित
5. जीएसआर 979 (ई) दिनांक 18.12.1990 द्वारा प्रभावी
6. जीएसआर 636 दिनांक 27.07.1988 द्वारा प्रतिस्थापित

7. सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले न्यायाधीश के परिवार को देय यात्रा व्यय - सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले न्यायाधीश के मामले में, उसके परिवार के सदस्य मुख्यालय से सबसे छोटे मार्ग से यात्रा के लिए निम्नलिखित यात्रा व्यय के हकदार होंगे न्यायाधीश को उनके सामान्य निवास स्थान पर, जो रिकॉर्ड में दर्ज किया गया स्थायी घर होगा या ऐसा अन्य स्थान, जिसे सेवा में रहते हुए न्यायाधीश द्वारा स्थायी घर घोषित किया गया हो, बशर्ते यात्रा छह महीने के भीतर पूरी हो जाए की मृत्यु
न्यायाधीश : --

(क) रेल और/या स्टीमर द्वारा यात्रा के लिए--
[2] [(i) परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए वास्तविक प्रथम श्रेणी का किराया]
[2](ii) 2 (एक पूर्ण वैगन) तक व्यक्तिगत वस्तुओं के परिवहन की वास्तविक लागत ।

(ख) सड़क मार्ग से यात्रा के लिए-

[3](i) परिवार के एक सदस्य के लिए एक माइलेज भत्ता, परिवार के दो सदस्यों के लिए दूसरा माइलेज भत्ता और मृतक जज के परिवार के दो से अधिक सदस्य यात्रा करने पर तीसरा माइलेज भत्ता, ऐसे मृतक के लिए लागू दर पर न्यायाधीश;

(ii) वास्तविक लागत व्यय तक सीमित है, जो इसमें खर्च किया जाएगा
[3](2,400 किलोग्राम) माल का परिवहन और इस तरह के व्यक्तिगत प्रभावों को शुरू करने और उतारने में होने वाला खर्च।

[4](ग) क्लॉज (ए) और (बी) में निर्दिष्ट तरीकों से यात्रा के लिए उसी दर पर दैनिक भत्ता, जो एक जज के लिए स्वीकार्य है जब वह ड्यूटी पर यात्रा करता है और क्लॉज के प्रावधान

(घ) नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसार, जहां तक
हो सकता है, लागू करें।]

उपरोक्त रियायतें न्यायाधीश के परिवार के किसी सदस्य को न्यायाधीश के मुख्यालय से न्यायाधीश के मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर यात्रा करने के लिए भी स्वीकार्य होंगी, जहां सदस्य न्यायाधीश की मृत्यु के समय होता है, सामान्य निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर, बशर्ते कि दावा किया गया कुल खर्च स्वीकार्य राशि से अधिक न हो, यदि ऐसा सदस्य न्यायाधीश के मुख्यालय से सामान्य निवास स्थान की यात्रा करता है और यात्रा मृत्यु के छह महीने के भीतर पूरी हो जाती है न्यायाधीश की।

---

1. जीएसआर 1187 (ई) दिनांक 6.11.1986 द्वारा लोपित
2. जीएसआर 343 (ई) दिनांक 12.5.1976
3. जीएसआर 1187 (ई) दिनांक 6.11.1986
4. जीएसआर 343 (ई) दिनांक 12.5.1976 द्वारा प्रतिस्थापित

यह नियम किसी न्यायाधीश पर लागू नहीं होगा जिसकी सेवानिवृत्ति के दौरान छुट्टी पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। [1](.....)

8. निरसन और बचत-(1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1951, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

इस तरह के निरसन के बावजूद, इन नियमों में निहित कुछ भी प्रभावी नहीं होगा ताकि न्यायाधीश जो इन नियमों के प्रारंभ में सेवा कर रहे हैं, उनकी यात्रा और दैनिक भत्तों के संबंध में उन शर्तों से कम अनुकूल शर्तें, जिनके लिए वह हकदार होगा यदि ये नियम नहीं बनाए थे।

[गृह मंत्रालय संख्या 12/12/56-न्यायाधीश 1]

---

1. जीएसआर 343 (ई) दिनांक 12.5.1976 द्वारा हटाया गया है ।

फुट नोट: अधिसूचना संख्या जीएसआर 844 दिनांक 14 जुलाई, 1959, भारत के राजपत्र दिनांक 25 जुलाई, 1959, भाग- II खंड 3 (i) पृष्ठ 1054 (गृह मंत्रालय F.No.12/19/ 56-न्यायिक I)

इसके बाद संशोधित :-

(1) जीएसआर 1881 दिनांक 3.10.1968
(2) जीएसआर 2010 दिनांक 15.12.1970
(3) जीएसआर 263 (ई) दिनांक 27.4.1972
(4) जीएसआर 579 दिनांक 30.5.1974
(5) जीएसआर 1365 दिनांक 18.12.1974
(6) जीएसआर 343 (ई) दिनांक 12.5.1976
(7) जीएसआर 990 दिनांक 28.7.1978
(8) जीएसआर 871 दिनांक 5.8.1980
(9) जीएसआर 1043 दिनांक 23.9.1980
(10) जीएसआर 394 दिनांक 4.4.1981
(11) जीएसआर 899 दिनांक 28.9.1985
(12) जीएसआर 484 (ई) दिनांक 7.3.1986
(13) जीएसआर 175 दिनांक 8.3.1986
(14) जीएसआर 1187 (ई) दिनांक 6.11.1986
(15) जीएसआर 915 (ई) दिनांक 6.9.1988
(17) जीएसआर 979(ई) दिनांक 18.12.1990
(18) जीएसआर 716 (ई) दिनांक 4.12.1991
(19) जीएसआर 378(ई) दिनांक 16.4.1993
(20) जीएसआर 150 (ई) दिनांक 24.2.1999

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियम, 1959
(21.09.2022 की स्थिति के अनुसार)

[1] जीएसआर 935, दिनांक 4 अगस्त, 1959,-उप-धारा (1) और खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (ख), (घ) और (ङ) 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958, (1958 का 41) की धारा 24 की उप-धारा (2) की , केंद्र सरकार इसके द्वारा बनाती है निम्नलिखित नियम, नामतः -

1. संक्षिप्त नाम - इन नियमों को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 कहा जा सकता है।

2. विशेष निःशक्तता अवकाश - केन्द्रीय सिविल सेवा वर्ग-I के एक अधिकारी के संबंध में विशेष निःशक्तता अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में तत्समय लागू नियम, जिसने 16 जुलाई को या उसके बाद सेवा में प्रवेश किया है, 1931, और जो चोट के कारण या उसकी आधिकारिक स्थिति के परिणामस्वरूप अक्षम हो सकता है, एक न्यायाधीश के संबंध में लागू होगा, इस संशोधन के अधीन कि इस तरह की छुट्टी पर एक न्यायाधीश को देय भत्ते की मासिक दर में निर्दिष्ट किया जाएगा इन नियमों की पहली अनुसूची।

3. असाधारण पेंशन और उपदान-केंद्रीय सिविल सेवा, वर्ग-I के एक अधिकारी के संबंध में असाधारण पेंशन और उपदान के अनुदान के संबंध में तत्समय प्रवृत्त नियम, जिन्होंने पर या उसके बाद सेवा में प्रवेश किया है 1 अप्रैल, 1937, और जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन के दौरान और हिंसा के परिणामस्वरूप चोट का शिकार हो सकता है या मर सकता है, एक न्यायाधीश के संबंध में लागू होगा, हालांकि, संशोधन के अधीन उन नियमों में चोट उपदान और पेंशन की तालिकाओं और पारिवारिक उपदान और पेंशन के संदर्भ को इन नियमों की दूसरी अनुसूची के तालिकाओं के संदर्भ के रूप में माना जाएगा ।

[3] 3क पेंशन के बकाया का भुगतान - एक न्यायाधीश पेंशन के बकाया (नामांकन) नियम, 1983 के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार उसे देय पेंशन की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है।

[7] 3ख सेवानिवृत्ति के बाद लाभ - (1) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की स्थापना से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ निम्नलिखित कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य पूर्ण वेतन और भत्ते के साथ उनके जीवनकाल के दौरान तैनात किया जाएगा –

(क) घरेलू मदद (जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के स्तर के बराबर);
(ख) चौफर्स (सुप्रीम कोर्ट में चौफर के स्तर के बराबर); और
(ग) सचिवालय सहायक (सुप्रीम कोर्ट में शाखा अधिकारी के स्तर के बराबर)

2) सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए चौबीसों घंटे व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड के अलावा आवास पर चौबीसों घंटे सुरक्षा सुविधा का हकदार होगा।

(3) सेवानिवृत्त न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए चौबीसों घंटे व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड के अलावा आवास पर चौबीसों घंटे सुरक्षा सुविधा का हकदार होगा।

(4) उप-नियम (2) से और (3) में कुछ भी होने के बावजूद, यदि किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पहले से ही खतरे के विचार के आधार पर उच्च ग्रेड सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो पहले से ही प्रदन्त उच्च ग्रेड सुरक्षा जारी रहेगी ।

(5) सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए दिल्ली में एक किराया मुक्त टाइप-VII आवास (निर्दिष्ट आधिकारिक आवास के अलावा) का हकदार होगा ।

(6) सेवानिवृत न्यायाधीश के साथ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की स्थापना से निम्नलिखित कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय के नियमित कर्मचारियों के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते के साथ तैनात किया जाएगा -

(क) घरेलू मदद (जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के स्तर के बराबर); और
(ख) चालक (उच्चतम न्यायालय में चालक के स्तर के बराबर)।

(7) सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हवाई अड्डे पर औपचारिक लाउंज में शिष्टाचार के प्रोटोकॉल का हकदार होगा।

(8) सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश निःशुल्क आवासीय टेलीफोन और आवासीय टेलीफोन या मोबाइल फोन या ब्रॉडबैंड या अधिकतम 4200/-रुपए प्रतिमाह की दर से मोबाइल डेटा के शुल्क और यथालागू करों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

किंतु टेलोफोन कॉल प्रभारों की प्रतिपूर्ति सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत न्यायाधीश द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में प्रमाणपत्र करने पर भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी ।

(9) इस नियम के तहत सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य होंगे यदि ऐसी कोई सुविधा किसी उच्च न्यायालय या किसी अन्य सरकारी निकाय से नहीं मिलती है, जहां सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने सेवानिवृति के बाद में कोई कार्यभार ग्रहण किया हो ।

---

1. भारत के राजपत्र के भाग –II खंड (i) में प्रकाशित
2. 1998 की धारा 18 द्वारा 1.1.1996 स्थापित
3. जीएसआर संख्या 1176 (ई) दिनांक 4.11.1986 (एफ संख्या -24/20/86-न्याय) द्वारा प्रतिस्थापित
4. जीएसआर संख्या 680 (ई) 12.11.1991 द्वारा प्रतिस्थापित
5. जीएसआर संख्या 200 (ई) दिनांक 18.03.2021 द्वारा प्रतिस्थापित
6. जीएसआर संख्या 531 (ई) दिनांक 04.08.2021 द्वारा प्रतिस्थापित
7. जीएसआर संख्या 661 (ई) दिनांक 26.08.2022

4. न्यायाधीशों का निवास - प्रत्येक न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान और उसके तुरंत बाद (एक महीने) की अवधि के लिए सुसज्जित आवास के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होगा, और व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीश पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। ऐसे आवास के रखरखाव के संबंध में। यह रियायत न्यायाधीश के परिवार के सदस्यों को भी, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद '(एक महीने) की अवधि के लिए स्वीकार्य होगी।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'निवास' में स्टाफ क्वार्टर और अन्य भवन अपार्टमेंट और उसके बगीचे शामिल हैं, और निवास के संबंध में 'रखरखाव' में 2 स्थानीय दरों और करों और बिजली और पानी का भुगतान शामिल है।

यह नियम 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ माना जाएगा।

[3] [4क. निर्दिष्ट अवधि से अधिक रहने की अवधि के लिए किराया- (1) जहां एक न्यायाधीश नियम 4 में निर्दिष्ट अवधि से परे निवास करता है, वह मौलिक नियम 45 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई किराए की अवधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा- बी पूर्ण विभागीय शुल्क के साथ या यदि किराए को पूल किया गया है, तो फंडामेंटल नियम 45-ए के तहत जमा मानक किराया जो भी अधिक हो।

(2) जहां एक न्यायाधीश की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार के सदस्य, नियम 4 में निर्दिष्ट अवधि के अलावा, के अनुसार गणना के अनुसार किराए का भुगतान करके एक महीने से अधिक की अवधि के लिए निवास पर कब्जा करने के हकदार होंगे। मौलिक नियमों के प्रावधान, 45-ए, या, यदि किराए को उस नियम के तहत मानक किराया जमा किया गया है]।

[4] 4ख. निःशुल्क साज-सज्जा-- मुख्य न्यायाधीश को आवंटित सरकारी आवास में निःशुल्क प्रदान की गई निःशुल्क साज-सज्जा (विद्युत उपकरणों सहित) का मूल्य रु.5(10,00,000)(रुपये दस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगा और अन्य के मामले में न्यायाधीश 5 (8,00,000 रुपये) (केवल आठ लाख रुपये) से अधिक नहीं होंगे।

---

1 उप जीएसआर 634 दिनांक 22.4.1976 द्वारा प्रतिस्थापित
2. उप जीएसआर 718(ई) द्वारा दिनांक 3.11.1995 से प्रभावी 1.4.1994
3. जीएसआर 634 दिनांक 22.4.1976 द्वारा प्रतिस्थापित
4. जीएसआर 698 (ई) दिनांक 25.11.1991 द्वारा प्रतिस्थापित
5. जीएसआर 238(E) दिनांक 19.03.2018 19.03.2018 से प्रभावी

5. अस्पतालों में इलाज और रहने की सुविधा -

अस्पतालों में चिकित्सा उपचार और आवास के लिए सुविधाओं के संबंध में, अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1954 के प्रावधान एक न्यायाधीश पर लागू होंगे क्योंकि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सदस्य पर लागू होते हैं और माना जाएगा कि 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

बशर्ते कि खर्चों की प्रतिपूर्ति भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा डॉक्टरों/अस्पतालों या पुनर्गठित निजी चिकित्सकों/निजी अस्पतालों के नुस्खे पर की जाएगी।

6. सेवाओं की शर्तें जहां अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है - उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा की शर्तें जिनके लिए 'सुप्रीम कोर्ट जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1956, भारत सरकार के सचिव के पद को धारण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सदस्य के लिए लागू होने वाले नियमों द्वारा संविधान के प्रारंभ से निर्धारित किया जाएगा और माना जाएगा।

नोट: चिकित्सा शुल्क कीप्रतिपूर्ति या नियम 5 या नियम 6 के तहत आने वाले किसी अन्य मामले से संबंधित मामले, जो आधिकारिक राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पहले तय किए गए हैं, तब तक फिर से नहीं खोले जाएंगे जब तक कि यह विशेष रूप से वांछित न हो। संबंधित न्यायाधीश।

7. प्रश्न का निर्णय - इन नियमों के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो उस पर केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

8. बचत - इन नियमों में कुछ भी प्रभावी नहीं होगा ताकि एक न्यायाधीश जो राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख पर सेवा कर रहा है, उसके विशेषाधिकारों के संबंध में उनके विशेषाधिकारों के मुकाबले कम अनुकूल शर्तों को दे सकता है जो उसे मिलना चाहिए था। हकदार थे, यदि ये नियम नहीं बनाए गए होते ।

---

1. दिनांक 1.1.1996 अधिनियम 1998 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित

पहली अनुसूची

(नियम 2 देखें)

न्यायाधीश को देय अवकाश भत्तों की मासिक दर विशेष निःशक्तता अवकाश पर रहने के दौरान निम्नानुसार होगा :

अवधि	छुट्टी भत्ते की मासिक दर
(1) पहले 120 दिन	(क) पहले 45 दिनों के लिए वेतन की मासिक दर पर (ख) अगले 75 दिनों के लिए 2,220 रुपये की मासिक दर पर
(2) ऐसी किसी भी विकलांगता की शेष अवधि के लिए	ऐसी किसी भी विकलांगता अवकाश की मासिक दर 1,110/- रुपये पर (ii) न्यायाधीश के विकल्प पर, छुट्टी की अवधि से अनधिक अवधि के लिए जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 के अध्याय-द्वितीय के प्रावधान के तहत, उसे पूर्ण भत्तों पर स्वीकार्य हो सकती है। , 2,220/- रुपये की मासिक दर पर बशर्ते कि जब इस तरह के विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी छुट्टी का आधा छुट्टी खाते में डेबिट किया जाएगा।

दूसरी अनुसूची
(नियम 3 देखें)
चोट ग्रेच्युटी और पेंशन

अधिकारी	ग्रेच्युटी	वार्षिक पेंशन उच्चतर स्केल	वार्षिक पेंशन कम से कम स्केल
1. भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश	20,000/-रुपए	5,400/- रुपए	4,700/-रुपए

फेमिली ग्रेच्युटी एवं पेंशन
(क) विधवा

अधिकारी	ग्रेच्युटी	वार्षिक पेंशन
1. भारत के मुख्य न्यायाधीश या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश	15,000/- रुपए	5,000/- रुपए

(ख) बच्चे

	वार्षिक पेंशन
यदि बच्चा मां विहीन है तो	550/- रुपए
यदि बच्चे की मां है तो	320/- रुपए

[गृह मंत्रालय 15/6/58-न्यायिक-I]

फुटनोट :- सं. जीएसआर-935 दिनांक 4 अगस्त, 1959,
भारत का राजपत्र, भाग- II, खंड 3 (I) पृष्ठ-1161
अधिसूचना द्वारा प्रकाशित मुख्य नियम ।

[गृह मंत्रालय 15/6/58-न्यायिक-I]

बाद में संशोधित :

1. अधिसूचना संख्या-1/34/74-न्याय (1) दिनांक 18.12.1974
2. जीएसआर संख्या 634 दिनांक 22.4.1976
3. जीएसआर संख्या 854 दिनांक 1.8.1980
4. जीएसआर संख्या 1176 (ई) दिनांक 4.11.1986
5. जीएसआर संख्या 680 (ई) दिनांक 12.11.1991
6. जीएसआर संख्या 381 (ई) दिनांक 20.4.1993, 25.9.1992 से प्रभावी
7. जीएसआर संख्या 444 (ई) दिनांक 10.5.1995, 12.11.1994 से प्रभावी
8. जीएसआर संख्या 717 (ई) दिनांक 3.11.1995
9. जीएसआर संख्या 718 (ई) 3.11.1995, 1.4.1994 से प्रभावी
10. जीएसआर संख्या 140 (ई) दिनांक 04.2.1999